

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

धीमातीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस.

क्रमांक सीडर/2020/

769

दिनांक - 19.2.20

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

- 1 प्रभूलाल पुत्र भवसराम
- 2 हुरभीदेवी पत्नी भवसराम
- 3 खेताराम
- 4 शंकराराम पितराम बगाराम
- 5 सदाईलाल
- 6 कंसाराम पितराम महाराज
- 7 देवीदेवी पत्नी महाराज
- 8 गौतम
- 9 बाबूलाल पितराम भास्कराम
- 10 हरिकोदेवी पत्नी भास्कराम जाति गुरूडा निवासी आदर्श दूदा तहसील व जिला बाड़मेर।

- 1 गिरधारीराम पुत्र मेहराण वगैराह जाति गुरूडा निवासी आदर्श दूदा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या - 30/2020

दिनांक - 18.03.20

## आदेश

उपयुक्त प्रकरण मौजा हनुमान नगर पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 280 रकबा 10.05 बीघा व मौजा आदर्श दूदा पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 940/98 रकबा 07.11 बीघा, खसरा संख्या 937/88 रकबा 22.12 बीघा, खसरा संख्या 220 रकबा 0.09 बीघा व खसरा संख्या 94 रकबा 07.02 कुल रकबा 37.14 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्यवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निर्दिष्ट (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मटेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

क्रमांक :- सीडर/2020/

750-52

दिनांक - 19.3.20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं धालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को भ्रम रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रभूलाल पुत्र भवसराम वगैराह जाति गुरूडा निवासी आदर्श दूदा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी गिरधारीराम पुत्र मेहराण वगैराह जाति गुरूडा निवासी आदर्श दूदा तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर